FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Rohtak **Year (वर्ष):** 2024

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 09/02/2024 09:22 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	12
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 10/12/2021 **Date To (दिनांक तक):** 20/03/2023

   Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/02/2024 **Time (समय):** 08:45 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date and Time (दिनांक और समय):** 09/02/2024 08:57 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 50 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

      (b) Address (पता): सोनीपत,

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

      District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant/Informant :

Scanned with OKEN Scanner

(a) Name (नाम) : Insp Parkash Chand No 13/Rewari

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1974 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्रामGURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्रामGURUGRAM, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	नरेन्द्र कुमार तत्कालीन GM			1. ICDP व ARCS Sonipat,SONIPAT,HARYANA,INDIA
2	स्टालियनजीत		Father's Name: हरबेल सिहें	1. 5284 ए,सैक्टर 38 पश्चिम,चण्डीगढ, CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पति श्रेणी)	Property Type (सम्पति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak Police Station

Scanned with OKEN Scanner

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak Police Station

सेवा में,

प्रबन्धक थाना,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
रोहतक मण्डल, रोहतक

श्रीमान जी,

मै निरीक्षक प्रकाशचन्द बैल्ट न0 13/रेवाडी थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में बतौर अनुसधान अधिकारी नियुक्त हूँ। मै अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120-बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13 PC ACT 1988 PS ACB GGM में गठित की गई SIT का सदस्य हूँ। इस अभियोग के अनुसंधान के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार सामने आए तथ्यों से, सामने आया है कि सहकारिता विभाग एवं ICDP Project में स्टालियनजीत पुत्र हरवेल सिहँ वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ द्वारा जिला सोनीपत में तैनात तत्कालीन I ARCS,ICDP, Sonipat श्री नरेन्द्र कुमार को वर्ष 2021 में जिला सोनीपत में ICDP प्रोजैक्ट के तहत हुए सरकारी कार्यो के बदले रिश्वत दी गई है। श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा स्टालियनजीत से रिश्वत की मांग करते हुए, उसे प्राप्त किया गया है। इसके अलावा रिश्वत देने के अतिरिक्त कारण या सरकारी राशी को गबन करने वाक्या अनुसंधान के दौरान सामने आऐगें। श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालीन ARCS Faridabad द्वारा रिश्वत लेने से सम्बन्धित काफी प्रमाण मौजूद है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

- श्री नरेन्द्र कुमार 10.12.2021 से 20.03.2023 तक ARCS, GM,ICDP, Sonipat के पद पर तैनात थे।
- स्टालियनजीत सिंह व नरेन्द्र कुमार के मध्य हुई Whatsapp chats का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री नरेन्द्र कुमार, तत्कालिन I ARCS, Sonipat ने अपने मोबाईल नम्बर 7206124000 द्वारा स्टालियनजीत सिंह के मोबाईल पर एक बैंक खाते का विवरण भेजा हुआ है।
- बैंक खाता 30300042800 SBI IFSC SBIN0032453 जो श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा मोबाईल नं0 8607000991 ई-मेल आई डी rpsharma1978@gmail.com के नाम पाया गया। इस बैंक खाता में स्टालियनजीत की कम्पनी M S FRESH KHATA सख्यां 4996010036900 से M.No 7710788880 IMPS 136415631170 के माध्यम से दिनांक 31.12.2021 को 25,000/ (पच्चीस हजार रुपये), दिनांक 25.01.2022 को 1,25,000/(एक लाख पच्चीस हजार रुपये), स्टालियन जीत सिंह की कम्पनीयों को दिए गए सरकारी कार्य के बदले रिश्वत के तौर पर धनराशि प्राप्त की हुई हैं।
- रिकार्ड के अवलोकन एवं ICDP, Sonipat के खाते की विवरणी का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ICDP, Sonipat द्वारा विभिन्न प्रकार के सामान की खरीद एवं अन्य कार्यो के लिए स्टालियन जीत सिंह की कम्पनियो M/s Laybay India Ltd. and Bantam India Ltd. आदि को दिनांक 10.12.2021 से 22.03.2023 के बीच ICDP, Sonipat द्वारा बडी मात्रा में सरकारी कार्य दिये गये एवं काफी सामान की Supply का Order दिया गया। फलस्वरूप एक बडी रकम का भुगतान इन 02 कम्पनियों को ICDP द्वारा किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120-बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13 PC ACT 1988 PS ACB GGM एवं अभियोग सख्यां 29 दिनांक 03.07.2023 धाराधीन 409,420,120-बी, 201 भा0द0स0 7,13(1)(a) तथा 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम के अनुसंधान के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किये गये एवं उनके अवलोकन से सामने आया कि अभियुक्त स्टालियन जीत सिंह ने अपने व अपनी कम्पनियों/फर्म के बैंक खातों की चैक बुक से जारी किये गये चैकों की सूची में उपयोग की हुई सम्बन्धित चैक बुक में अपनी लिखाई में तैयार की हुई है। उस सूची का अवलोकन करने पर पाया कि उस सूची मे Self ARCS Sonipat के नाम से विवरणी दर्ज है एवं उक्त विवरणी के सामने चैक संख्या एवं राशी भी लिखी हुई है। चैक बुक के गहन अवलोकन एवं स्टालियन जीत सिंह से इस बारे में पूछताछ के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि यह राशी श्री नरेन्द्र कुमार, तत्कालिन I ARCS-cum-GM, ICDP, Sonipat द्वारा स्टालियन जीत सिंह की कम्पनियों को सरकारी कार्य एवं सामान आपूर्ति के Order दिये जाने के बदले स्टालियन जीत द्वारा बतौर रिश्वत श्री नरेन्द्र कुमार को दी गई।

Scanned with OKEN Scanner

बैकं खाता M/S LAYBAY INDIA LTD.499601010036894 UBIN0549967 चैक न0 409905 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार 8,00,000 (आठ लाख रुपये), चैक न0 409906 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार 3,00,000 (तीन लाख रुपये), M SFRESH KHATA LTD.499601010036900 UBIN0549967 चैक न0 498183 दिनांक 13.03.2023 के अनुसार 4,00,000 (चार लाख रुपये), चैक न0 368478 दिनांक 10.11.2021 के अनुसार 50,000 (पचास हजार रुपये), Stalian Jit Singh.499601010036902UBIN0549967 चैक न0 380975 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार 1,00,000 (एक लाख रुपये), दिए जाने विवरण अंकित है।

• अभियोग सख्यां 21/2023 में स्टालियनजीत के मोबाईल में मौजुद Whatsapp Chat की DITAC GGM से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसका अवलोकन किया गया तो DITAC Report में भी वह Whatsapp Chat मौजुद पाई गई जो स्टालियनजीत द्वारा अपनी गिरफतारी से पहले अपने मोबाईल फोन से Whatsapp Chat निकाल कर स्वेच्छा से अनुसंधान अधिकारी को दी थी। DITAC Report का अवलोकन के उपरान्त राजपत्रित अधिकारी की मौजुदगी में अलग से Observation Memo तैयार किया गया है।

• स्टालियनजीत सिहँ द्वारा ऐसे ही वाक्य में G.M. ICDP Rewari, Kaithal, Panipat, Karnal के साथ मिलकर किया गया, जिसमें करोडों रुपये की सरकारी धनराशी का गबन फर्जी बिल बनाने व पास करवाने जैसी कार्यवाही करते हुए किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरों गुरुग्राम में 02 अभियोग अंकित है। अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120-बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13 PC ACT 1988 PS ACB GGM एवं अभियोग सख्यां 29 दिनांक 03.07.2023 धाराधीन 409,420,120-बी, 201 भा0द0स0 7,13(1)(a) तथा 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम के अनुसंधान के दौरान सामने आया है कि आरोपी स्टालियनजीत हरियाणा के विभिन्न ICDP Project एवं Cooperative सोसायटी के Funds को सहकारिता विभाग के अधिकारीयों से मिलकर गबन कर लेता है। कुछ मामलो में सहकारिकता विभाग के अधिकारीयों द्वारा स्टालियनजीत एवं अन्य से मिलीभगत करके घटिया सामान की आपुर्ति की गई जबकि बिल अच्छे व किमती सामन के लगाए गए। धरातल पर कार्य नहीं किया लेकिन फर्जी बिलों को लगाकर सरकारी धनराशी का गबन किया गया। झुठे स्वयं सहायता ग्रुप को ऋण दिया गया जो बाद में गबन किया गया। निर्माण व मजदुर सोसायटीयों को रिश्वत लेकर लोन दिया गया। ठेकेदारों से रिश्वत लेकर उन्हे सरकारी कार्य दिया गया।

उपरोक्त विवरण के अनुसार श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालीन GM, ICDP ARCS Sonipat द्वारा स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिहँ वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ के साथ योजनाबद्व तरीके से मिलीभगत करके सरकारी धनराशी का गबन करते हुए 18,00,000/रु (अठारह लाख रुपये) कि रिश्वत ली गई है। स्टालियनजीत ने इस रिश्वत के बदले उक्त सरकारी अधिकारी से योजनाबद्व तरीके से सरकारी कार्य का ठेका लिया है। इस सम्बन्ध में अपराधिक मामला दर्ज करके अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि रिश्वत की रकम के साथ-साथ योजनाबद्व तरिके से गबन की हुई राशी की रिकवरी हो सके। रिश्वत के इस कृत्य में वर्तमान समय तक अपराध जेर धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एंव 7,8,12,13 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का अपराध होना पाया गया है। आरोपियों का कृत्य EX-Facie Criminal in Nature है, जिसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 4/2/2021-1VII Dated 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशो के तहत 17-A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नही है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पचंकुला से क्रमांक 3068/I-2/ACB(H) dated Panchkula dated 25.01.2024 के अनुसार अनुमति प्राप्त हो चुकी है। उक्त मामला भ्रष्टाचार निरोधक मण्डल रोहतक के अधिकार क्षैत्र का पाया गया है। अतः श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालीन GM, ICDP ARCS Sonipat, व स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिहँ वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ के खिलाफ नियमानुसार मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (हरियाणा) पचंकुला से अनुमति प्राप्त की गई, अभियोग अंकित किया जाए। हस्ता अंग्रेजी Parkash Chand

निरीक्षक प्रकाश चन्द,
थाना भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो,
गुरुग्राम, मण्डल गुरुग्राम।

अज थाना- हस्व आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 05 दिनांक 09.02.2024 धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एंव 7,8,12,13 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 PS ACB RTK दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट अफसरानवाला वा डयुटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरिया E-MAIL सूचना

Rohtak Range Rohtak ★ Anti Corruption Bureau ★ Police Station

Scanned with OKEN Scanner

दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक महेन्द्र सिंह उपकेन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सोनीपत के हवाले की जाएगी। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक भगतसिंह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** MAHENDER SINGH **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 38SPT **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Bg. Singh.

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Bhagat Singh

Rank (पद): Inspector

No.) 560/RR

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Rohtak Range Anti Co... Bureau Rohtak * Police Station

Scanned with OKEN Scanner

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				Is pox pitted: Yes
2	Male	1979				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

Scanned with OKEN Scanner